अध्याय II

लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि एवं लेखापरीक्षा की सीमा

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 यह प्रदान करता है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ और राज्य तथा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा निर्धारित किये जा सकने वाले निकाय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गये किसी कानून के अन्तर्गत अपनी शाक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी की डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार और प्रत्येक सरकार और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजी दोनों) का लेखापरीक्षा और स्वयं को सन्तुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित बंट़वारे पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए बनाये गये नियम और प्रक्रियाऐं बनाई गई है और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिए अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखा, 2007 (विनियम) पर विनियमों को लेखापरीक्षा प्राप्तियों के लिए सिद्धान्तों को निर्धारित करते है।

2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं और उनके प्रभाव की जांच

प्राप्ति लेखापरीक्षा मुख्यत प्रणाली और प्रक्रियाओं और उसके प्रभाव की जांच को शामिल करता है**:**

क. संभावित कर निर्धारिती की पहचान, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपवंचन का पता लगाना और उसकी रोकथाम;

ख. दंड की उगाही और अभियोजन पक्ष की शुरूआत सहित उचित माध्यम से विवेकाधिकारी शक्तियों का प्रयोग;

ग. अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हित को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही;

घ. राजस्व प्रशासन को सशक्त और सुधारने के लिए प्रस्तुत किये गये कोई मापदंड;

ङ. राजस्व जो बकाया हो सकता है बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया में राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही;

च. उचित परिश्रम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोडकर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

2.1.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर की लेखापरीक्षा

भारतीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रणाली स्वयं निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता अपनी स्वयं की कर रिटर्न तैयार करता है और विभाग को प्रस्तुत करता है। यह प्रणाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय कानूनों द्वारा निर्देशित है। केन्द्रिय उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग प्रारंभिक संविक्षा, विस्तरित संविक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से रिटर्न का निर्धारण और संविक्षा करता है और करदाता द्वारा जमा किये गये कर की शुद्धता को सुनिश्चित करता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाओं की प्रभाविकता को जांचने के लिए, सीएजी बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं और कार्यात्मक विभागों के अभिलेखों के साथ निर्धारिती द्वारा दाखिल की गयी विवरणियों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करता है।

2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि सीबीआईसी, इसकी अधीनस्थ संरचना और क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल करता है। उसी प्रकार, 1 अप्रैल 2017 को लेखापरीक्षा समष्टि में 4,898 इकाईयां थी जिनका राजस्व ₹ 6,34,994[13] करोड़ (₹ 3,80,495 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और ₹ 2,54,499 करोड़ सेवाकर) था और 27 जोन, 141 कमिश्नरियों, 737 डिवीजनो, 3,530 रेजों और 463 अन्य इकाईयों को शामिल करता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण, विभाग का पुनर्गठन किया गया और इस प्रतिवेदन की पैरा सं. 1.3 में उल्लिखित विभागीय इकाईयों के रूप में परिवर्तित किया गया।

---

13 वित्त 17 के लिए

2.2.1 सीबीआईसी

वित्त मंत्रालय में, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, भारत के संघ के अप्रत्यक्ष कर की उगाही और संग्रहण के प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व वस्तु एवं सेवा कर के करारोपण व संग्रह, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर और नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है।

2.2.2 ज़ोन

ज़ोन उच्चतम लेखापरीक्षा योग्य सत्व है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। ज़ोन के प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त ज़ोन में सभी कमिश्नरियों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों के ऊपर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। वह जोन में प्रत्येक कमिश्नरी द्वारा राजस्व संग्रहण की निगरानी और अधिनियमों/नियमों और समय समय पर जारी किये गये बोर्ड के निर्देशों/दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन करता है

2.2.3 कमिश्नरियां

प्रत्येक ज़ोन में प्रधान आयुक्त/आयुक्त की अध्यक्षता में कई कमिश्नरियां शामिल हैं। प्रशासनिक रूप से प्रत्येक कमिश्नरी का अपने मुख्यालय के साथ एक 3-स्तरीय सेट-अप है, जिसमें, चार से छः डिवीजन द्वितीय स्तर पर और तृतीय स्तर पर प्रत्येक डिवीजन के तहत चार से छः रेंज और अन्तिम स्तर कमिश्नरियों को तीन श्रेणियों अर्थात कार्यकारी कमिश्नरी, कमिश्नरी (लेखापरीक्षा) और कमिश्नरी (अपील) में बांटा गया है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर कमिश्नरी (कार्यकारी कमिश्नरी) का मुख्य कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर अधिनियमों, इन अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित प्रावधान और संसद के अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करना है जिसके तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर का शुल्क लगाया और संग्रहण किया जाता है

प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर ज़ोन में एक या अधिक लेखापरीक्षा कमिश्नरियां हो सकती है जिनकी अध्यक्षता कमिश्नर (लेखापरीक्षा) करता है।

लेखापरीक्षा कमिश्नरी का मुख्य कार्य इस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्धारितियों की लेखापरीक्षा करना, निगरानी समिति की बैठके करवाना, निर्धारिती के प्रति मामले की खोज में कार्यकारी कमिश्नरी की सहायता करना आदि।

कमिश्नर (अपील) एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और एक कमिश्नर के पद के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित सभी न्यायिक निर्णय के संबंध में अपील पर आदेश देता है।

2.2.4 डिवीजन

प्रत्येक कार्यकारी कमिश्नरी के पास चार से छ: डिवीजन होते है जिसकी अध्यक्षता उप/सहायक कमिश्नर करते है। डिवीजन प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कानूनों और प्रक्रियाओं की उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी है। वह आसूचना के संग्रहण, अपवंचवन-रोधी आपरेशनों का आयोजन और अर्धन्यायिक कार्यों के निष्पादन, अर्थात् उसकी क्षमता के भीतर आने वाले न्यायिक निर्णयों के मामलों के लिए उत्तरदायी है। वह वस्तुओं और उनकी निर्धारण योग्य मूल्य के वर्गीकरण के निर्णय के लिए मूल प्राधिकारी है।

2.2.5 रेंज

प्रत्येक डिवीजन में चार से सात रेंज मौजूद हैं। रेंज, जिसकी अध्यक्षता अधीक्षक द्वारा की जाती है निर्धारिती और विभाग के मध्य सम्पर्क का प्रथम कार्यालय है। निर्धारिती रेंज कार्यालय के साथ पंजीकृत है। निर्धारिती द्वारा भरी गई निर्धारित विवरणियों के आधार पर रेंज द्वारा निर्धारण की संवीक्षा की जाती है। निर्धारण कार्य के अतिरिक्त, रेंज अधिकारी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वैधानिक घोषणाओं की सत्यता की जांच करते है।

2.3 लेखापरीक्षा नमूना

जैसा कि पैरा 2.2.5 में चर्चा की गई है, रेंज मुख्य विभागीय इकाई है जहां निर्धारिती पंजीकृत है और अपनी विवरणी प्रस्तुत करता है। रेंज इसलिए पंजीकरणों के सत्यापन, विवरणियों की संवीक्षा, राजस्व संग्रहण की निगरानी करना आदि के लिए उत्तरदायी है। हमने, जैसा कि पैरा 2.1.1 में परिकल्पित है प्रणाली और प्रक्रियाओं की प्रभाविकता की जांच की है।

1 अप्रैल 2017 को विभाग के पास कुल 36,87,815 (5,27,534 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती और 31,60,281 सेवाकर निर्धारिती) पंजीकृत निर्धारिती थे और उन में से 3,32,421 निर्धारिती (54,269 केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती और 2,78,152 सेवा कर निर्धारिती) प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक राजस्व का भुगतान कर रहे थे। हमने जांच हेतु, विभिन्न मानदंडों[14] के आधार पर, 2,772 निर्धारितीयों, जैसा नीचे चित्र 2.1 में दर्शाया गया है, (1,780 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 992 सेवा कर) का चयन किया था।

चार्ट 2.1: लेखापरीक्षा समष्टि और नमूना

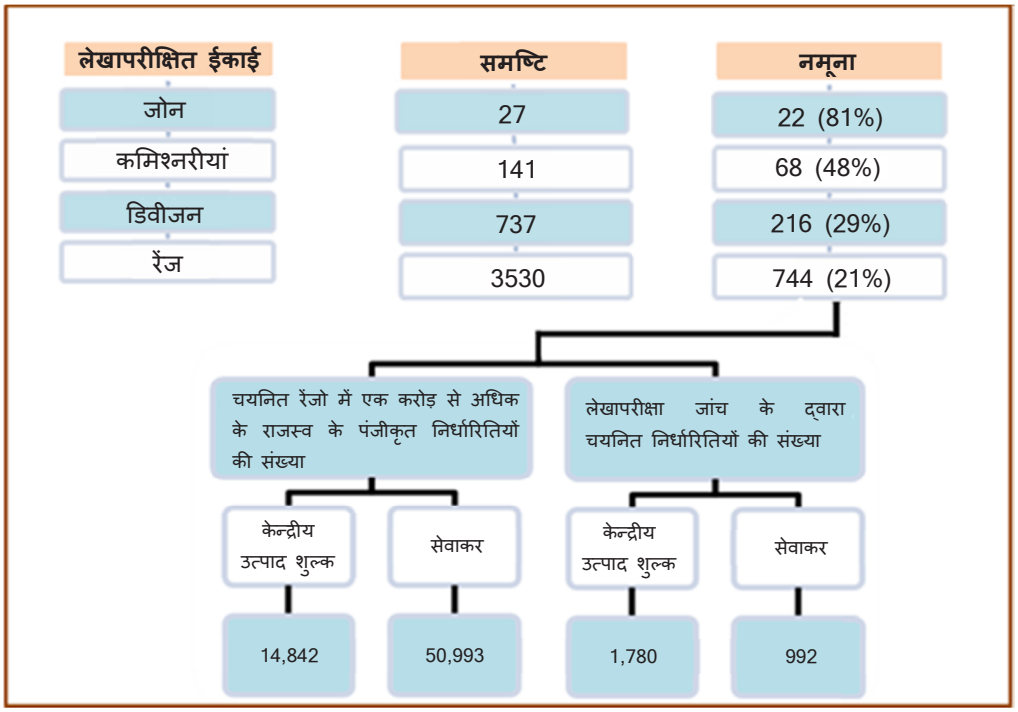

इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा विभाग के निगरानी तंत्र की दक्षता का निर्धारण करने के लिए 463 अन्य विभागीय इकाईयों जैसे- लेखापरीक्षा कमिश्नरियां, अपील कमिश्नरियां, डाटा प्रबंधन निदेशालय, कानूनी मामलें निदेशालय, निष्पादन प्रबंधन के महानिदेशक, आदि में से 90 (19.44 प्रतिशत) इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

14 उच्च राजस्व, सेनवेट की उच्च प्रतिशता और पीएलए का कम प्रतिशत, मद/सेवाओं की प्रकृति, संव्यवहारों की प्रकृति, जारी किए गए एससीएन की संख्या, पुष्टि किए गए मांग के मामलें, अंतिम सीएजी लेखापरीक्षा का वर्ष, आदि।

2.4 लेखापरीक्षा प्रयास एवं लेखापरीक्षा उत्पाद

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007 के अनुसार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षक मानकों के अनुरूप महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा की गई जिन्होंने वित18 में 1140 विभागीय इकाईयों और 2,772 निर्धारितियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई। संघ वित्त लेखे तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से डाटा/सूचना, बोर्ड की मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) प्रयोग में लाये गये।

वित18 के दौरान, 744 रेंजों में हमने चयनित 2,772 निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत 69,610 विवरणियों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 51,610 तथा सेवा कर 18,000) की जांच की तथा ₹ 1,485.91 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 4,641 आपत्तियां प्रस्तुत की। इन 4,641 आपत्तियों में से, हमने प्रतिवेदन में ₹ 201.32 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 33.32 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 168.00 करोड़) की 102 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 43 तथा सेवा कर 59) महत्वपूर्ण आपत्तियों टिप्पणियों सम्मिलित की गई है। हमनें एससीएन तथा अधिनिर्णयन जारी करने, कर आधार विस्तृत करने, क्षेत्रीय संरचनाओं के अपवंचन रोधी, प्रतिदाय आदि जैसे अन्य कार्यो से संबंधित ₹ 732.30 करोड़ के राजस्व वाली 1,788 आपततियाँ उठाई तथा इस प्रतिवेदन में ₹ 39.01 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 0.72 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 38.29 करोड़) वाली 125 आपत्तियाँ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 05 तथा सेवा कर 120) सम्मिलित थी।

इसके अलावा, हमने अपील मामलों के निगरानी तंत्र तथा बकाया मामलों के निगरानी तंत्र की जांच की तथा लेखापरीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के अध्याय III तथा अध्याय IV में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा, हमने ₹ 225.22 करोड़ (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 141.26 करोड़ तथा सेवा कर ₹ 83.96 करोड़) के राजस्व वाली 142 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 45 तथा सेवा कर 97) आपत्तियां भी सम्मिलित की गई है जो पूर्व वर्षों के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की अवधि में सामने आए परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके। सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित

महत्वपूर्ण आपत्तियों की चर्चा इस प्रतिवेदन के अध्याय V तथा VI में की गई है।

2.5 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही

2.5.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर लेखापरीक्षित सत्वों से हमारी आपत्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की। सीएजी की लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली, 2007 के विनियम 193 के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के समाप्त होने पर, हम विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

विनियम 197 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा टिप्पणी या एलएआर पर लेखापरीक्षा योग्य इकाई का प्रभारी अधिकारी इसकी प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर जवाब भेजेगा। यदि उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणी या एलएआर में कुछ आपत्तियों पर अन्तिम जवाब प्रस्तुत करना व्यवहार्य न हो तब इस आधार पर पहले जवाब में देरी नहीं की जाएगी और उस संभावित तिथि को दर्शाते हुए अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा जिस पर अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड के परिपत्र संख्या 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 मे सीएजी लेखापरीक्षा में उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और अपने क्षेत्रीय संरचनाओं को स्थानीय लेखापरीक्षा पैराग्राफ का जवाब तीस दिन में देने का निर्देश दिया है। परिपत्र इसका भी प्रबंधन करता है कि जोन लम्बित एलएआर पैराग्राफों पर चर्चा एवं इसके निपटान हेतु लेखापरीक्षा के साथ तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित करेगें।

उक्त विनियमों 193 से 204 के प्रावधानों के अनुसार हमने लंबित लेखापरीक्षा आपत्तियों की निगरानी और इनका अनुपालन एवं निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जैसे अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण आपत्तियों को कमिश्नरी के प्रमुख को भेजना, जोनल प्रमुखों को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्ति भेजना, लेखापरीक्षा समिति की बैठके करना आदि।

2.5.2 निम्न तालिका 2.1 वि‍व14 से वि‍व18 के दौरान एलएआर में दर्शायी गयी टिप्पणियों की संख्या और स्थिति और उन पर दिए गए उत्तर एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई आपत्तियां दर्शाती है।

तालिका 2.1: उठाई गई आपत्तियां और उन पर विभाग के जवाब

वर्ष	उठाई गई आपत्तियाँ	स्वीकृत आपत्ति	पहला जवाब प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत आपत्तियों की प्रतिशतता	पहला उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
वि‍व14	7,064	3,724	1,300	52.72	18.40
वि‍व15	5,957	2,994	1,176	50.26	19.74
वि‍व16	7,099	3,669	1,313	51.68	18.50
वि‍व17	6,656	3,624	1,641	54.45	24.65
वि‍व18	6,429	1,999	3,067	31.09	47.71
कुल	**33,205**	**16,010**	**8,497**	**48.22**	**25.59**

हमने पूर्व पांच वर्षो के दौरान 33,205 आपत्तियाँ की जिसमें से विभाग ने 16,010 (48.22 प्रतिशत) आपत्तियों को स्वीकार किया। विभाग ने बहुत सारे मामलों पर पहला जवाब तक प्रस्तुत नहीं किया था जिसमें वि‍व14 में 1,300 मामलें (18.40 प्रतिशत) से वि‍व18 में 3,067 (47.71 प्रतिशत) मामलों तक वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 8,497 मामले हो गए जिनमें प्रथम जवाब प्रतीक्षित था।

2.5.3 चार्ट 2.2 स्थानीय लेखापरीक्षा आपत्तियों[15] की लम्बित स्थिति को दिखाता है।

चार्ट 2.2: शेष आपत्तियों का विवरण
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर)

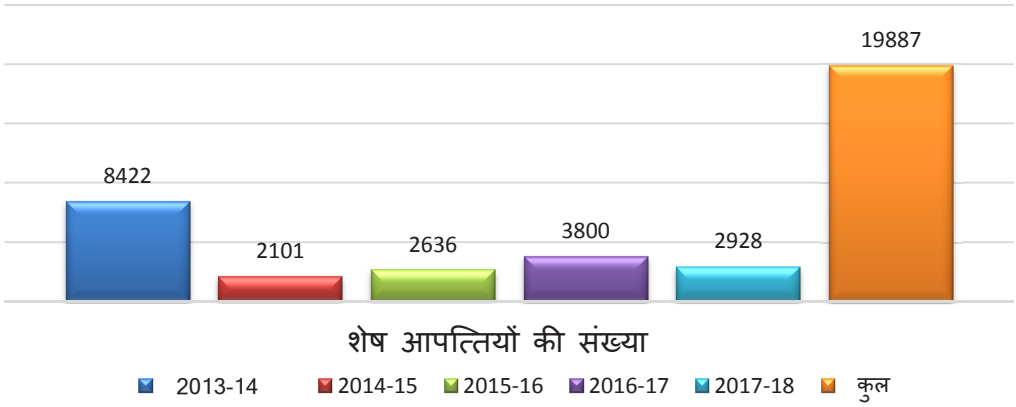

15 30.09.2017 को उठाई गई एवं 31.03.2018 को बकाया एलएआर आपत्तियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित जवाबों में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018[16] तक 19,887 लंबित आपत्तियां संचित हो गई।

बहुत बडी संख्या में एलएआर आपत्तियों के लम्बित रहने का मुख्य कारण विभाग द्वारा समय पर प्रतिक्रिया का अभाव है। लम्बित आपत्तियों के समयवार विश्लेषण से पता चला कि 8,422 (42.37 प्रतिशत), 2,101 (10.57 प्रतिशत) 2,636 (13.26 प्रतिशत), 3,800 (19.12 प्रतिशत) 2,928 (14.73 प्रतिशत) क्रमश: पांच वर्षों, चार वर्षों, तीन वर्षों, दो वर्षों और एक वर्ष से ज्यादा समय से लम्बित थे। एलएआर आपत्तियों के बडे संग्रहण से यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय संरचनाओं ने बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया। बोर्ड/मंत्रालय को इसके अनुदेशों के अनुपालन एवं प्रभाविकता सुनिश्चित करने और अननुपालन के मामलें में जवाबदेही निर्धारित करने के लिए उचित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

2.5.4 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुरोध पर वसूली

विव18 के दौरान, विभाग ने स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान विव18 तक 1,614 उठाए गए मामलों में ₹ 29.40 करोड़ की वसूली की।

तालिका 2.2: लेखापरीक्षा[17] के अनुरोध पर वसूली

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत		वसूलियां	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,918	123.33	833	12.02
सेवाकर	2,361	517.39	781	17.38
कुल	**5,279**	**640.72**	**1,614**	**29.40**

2.5.5 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (इस वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित ₹ 3,351.46 करोड़ के 1,295 लेखापरीक्षा पैराग्राफों को सम्मिलित किया था।

---

16 30.09.2017 को उठाई गई एवं 31.03.2018 को लंबित एलएआर आपत्तियां

17 एलएआर आपत्तियों पर की गई वसूलियों जिन्हे सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्यवाही

(₹ करोड़ में)

वर्ष			विव14	विव15	विव16	विव17	विव18	कुल
सम्मिलित पैराग्राफ		सं.	246	231	255	300	263	**1,295**
		राशि	897.19	534.37	435.56	1,018.79	465.55	**3,351.46**
स्वीकृत पैराग्राफ	15.11.18 पर	सं.	232	213	237	269	230	**1,181**
		राशि	568.29	510.17	384.78	548.56	345.22	**2,357.02**
प्रभावित वसूलियां	15.11.18 पर	सं.	134	139	178	160	122	**733**
		राशि	194.75	83.27	110.97	372.15	68.15	**829.29**

मंत्रालय ने ₹ 2,357.02 करोड़ की 1,181 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकृत की थी और 733 मामलों में ₹ 829.29 करोड़ वसूल किये थे।

2.6 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई कुल लेखापरीक्षा आपत्तियों में से, हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व मंत्रालय को टिप्पणी हेतु महत्वपूर्ण आपत्तियां जारी की थी। हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व मंत्रालय को उन्हें जारी मामलों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए छः सप्ताह दिए थे। हमने वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 465.55 करोड़ की 369 आपत्तियों वाले 263 ड्राफ्ट पैराग्राफ सम्मिलित किए। मंत्रालय ने सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर प्रस्तुत किए जिनमें से तीन ड्राफ्ट पैराग्राफ अर्थात सीबीआईसी में अपील मामलों के निगरानी तंत्र, सीबीआईसी में बकाया मामलों की वसूली का निगरानी तंत्र तथा सीबीआईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं के अन्य कार्यों के उत्तर आंशिक थे। मंत्रालय ने ₹ 345.22 करोड़ (74.15 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 230 ड्राफ्ट पैराग्राफ (87.78 प्रतिशत) स्वीकार किए।